

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 13/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00014

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

बनाम

श्री राजेन्द्र एम.एन पुत्र श्री गोपालन पी.के.
जाति ईडावा मालिक मैसर्स स्टेण्डर्ड बेकरीज,
कॉलेज रोड, प्रगति नगर बांसवाड़ा जिला
बांसवाड़ा स्थायी पता - मकान नं.319
कॉलेज रोड, प्रगति नगर बांसवाड़ा।

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

श्री राजेन्द्र एम.एन पुत्र श्री गोपालन पी.के.

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 19-06-2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 18-05-2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 07-06-2019 को 04.00 पी.एम. बजे बाहँसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स स्टेण्डर्ड बेकरीज, कॉलेज रोड, प्रगति नगर बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री राजेन्द्र एम.एन पुत्र श्री गोपालन पी.के. उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर स्टेण्डर्ड सेन्डविच ब्रेड के 500 ग्राम वाले 40 पैकेट मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु पाये गए। जो विक्रेता घर पर ही बनाकर बेचने का कार्य करता है। इसके सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ, मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म न.5ए पर उक्त स्टेण्डर्ड सेन्डविच ब्रेड के 500 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 140 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने 2019 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा स्टेण्डर्ड सेन्डविच ब्रेड के 500 ग्राम वाले 4 पैकेट को खोलकर को चार साफ, सुखी व खाली प्लास्टिक के जारों में बराबर-बराबर भरकर फार्मलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट LS 276/Act/2019/298 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया स्टेण्डर्ड सेन्डविच ब्रेड Contravention of Regulation 2.2.1(7),2.2.2(3),2.2.2(4),2.2.2(8),2.2.2(10) of food safety & Standards (packaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZI)(C)(i) के तहत भीसब्राण्डेड होना पाया गया है। विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) उल्लंघन किया है। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण दिनांक 18-05-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 19.06.2020 को अभियुक्त श्री राजेन्द्र एम.एन पुत्र श्री गोपालन पी.के. जाति ईडावा मालिक मैसर्स स्टेण्डर्ड बेकरीज, कॉलेज रोड, प्रगति नगर बांसवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।


प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट LS 276/Act/2019/298 दिनांक 23-07-2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया स्टेण्डर्ड सेन्डविच ब्रेड Contravention of Regulation 2.2.1(7), 2.2.2(3), 2.2.2(4), 2.2.2(8), 2.2.2(10) of food safety & Standards (packaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZI)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZI)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड पाया गया स्टेण्डर्ड सेन्डविच ब्रेड विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री राजेन्द्र एम.एन पुत्र श्री गोपालन पी.के. जाति ईडावा मालिक मैसर्स स्टेण्डर्ड बेकरीज, कॉलेज रोड, प्रगति नगर बांसवाडा को रुपये 10000/- (अक्षरे रु. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।




न्याय नरेशा बुनकर
न्यायाभिनिर्णयना अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
बांसवाडा

